JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

एडमिन बिल्डिंग, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर, जयपुर–302020
E-mail: pro@jaipurmetrorail.in **Phone No:** 0141-2822760

2024 / 10 / 411–प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 16.10.2024

जयपुर मेट्रो में विशेष योग्यजन को प्रदत्त समावेशी सुविधाओं का श्रीमान राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन द्वारा सुगमता निरीक्षण।

जयपुर 16 अक्टूबर। श्रीमान् राज्य आयुक्त–विशेष योग्यजन राजस्थान, श्री उमा शंकर शर्मा एवं 02 सदस्यीय दल द्वारा दिनांक 16.10.2024 को जयपुर मेट्रो स्टेशनों पर विशेष योग्यजन सुगमता निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जयपुर मेट्रो के सभी पूर्णकालिक निदेशकों के साथ चर्चा की। मेट्रो ट्रेन द्वारा मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक निरीक्षण किया, इस निरीक्षण के दौरान निदेशक (परिचालन एवं प्रणाली) श्री अखिलेश कुमार सक्सैना एवं परिचालन विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहें। उन्होने निरीक्षण के क्रम में जयपुर मेट्रो द्वारा विशेष योग्यजन के लिए प्रदान की गई मुख्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया।

उनके द्वारा मेट्रो स्टेशनों पर विशेष योग्यजन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उपलब्ध व्हील चेयर सहायता, विशेष पार्किंग, रैंप और रेलिंग की सुविधा, टैक्टाइल पथ, विशेष योग्यजन शौचालय, चौड़े स्वचालित फ्लैप गेट्स, ट्रेनों में आरक्षित स्थान, सुलभ साइन बोर्ड और लिफ्ट, लिफ्ट में ब्रेल साइन बोर्ड और विशेष रूप से चौड़े प्रवेश द्वार, निरीक्षण–विजुअल सूचना प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का गहराई से निरीक्षण किया तथा सभी सुविधाए अच्छे प्रकार से एवं RPwD अधिनियम 2016 के अनुरूप पाये जाने पर उन्होने जयपुर मेट्रो की सहराना की। साथ ही यह भी पाया गया कि जयपुर मेट्रो के सभी स्टेशनों पर विशेष योग्यजन की सहायता के लिए जयपुर मेट्रो पुलिस भी सदैव तत्पर रहती हैं।

उनके द्वारा जयपुर मेट्रो में विशेष योग्यजन शौचालय तक उपलब्ध कराई गई हैण्डरेल एवं टैक्टाइल पथ की सुविधा को बेहद सराहनीय बताया गया। सदस्यीय दल द्वारा मेट्रो स्टेशन पर विशेष योग्यजन शौचालय की कुछ फोटो भी ली गयी ताकि उसे अन्य विभागों में एक अनुकरणीय व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। श्रीमान् राज्य आयुक्त नें मेट्रो प्रशासन को कुछ नवीन कदम के संदर्भ में सुझाव भी बताए, जिसमे प्रमुखतया विशेष योग्यजन की सांकेतिक भाषा को समझने के लिए QR Code लगवाने, विशेष योग्यजन शौचालय में आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए अलार्म बटन लगाने एवं विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था से स्टॉफ को प्रशिक्षण दिलाना जैसे कदम उठाना शामिल है।

उन्होने मेट्रो स्टेशनों पर विशेष योग्यजनों हेतु उपलब्ध सुविधाओं को अन्य विभागों के लिए अनुकरणीय बताया तथा उन्होने अन्य विभागो के अधिकारियों को मेट्रो स्टेशनों आकर पर उपलब्ध सुविधाओं को देखने का सुझाव दिया।

जयपुर मेट्रो प्रारम्भ से हीं समावेशी वातावरण बनाने में हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, जहाँ सभी यात्री, चाहे उनकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, बिना किसी कठिनाई के और सम्मान पूर्वक यात्रा कर सकें। इन सुविधाओं का कार्यान्वयन मेट्रो परिवहन को सभी के लिए सुलभ बनाने के व्यापक उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री वैभव गलारिया ने बताया कि जयपुर मेट्रो ने अपनी यात्री सेवाओं को विशेष योग्यजन हेतु अधिक सुलभ बनाने के लिए विभिन्न सुविधाओं का कार्यान्वयन किया है। यह सुविधाएं RPwD अधिनियम 2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप हैं, तथा इनको अच्छे से लगातार बनाये रखने के लिए कार्य किया जाता हैं। ताकि विशेष योग्यजन जयपुर मेट्रो में आत्मनिर्भरता, पूर्ण आत्मविश्वास और सुलभता के साथ यात्रा कर सकें।

जनसंपर्क अधिकारी
जयपुर मेट्रो